

## मांग संख्या 76

## लोक सभा

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष                       | बजट 2007-2008 |              |               | संशोधित 2007-2008 |              |               | (करोड़ रुपए)  |              |               |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                                   | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़          | आयोजना            | आयोजना-भिन्न | जोड़          | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़          |
| राजस्व<br>पूँजी<br>जोड़           | ...           | 271.57       | 271.57        | ...               | 271.57       | 271.57        | ...           | 323.93       | 323.93        |
| <b>संसद-लोक सभा</b>               |               |              |               |                   |              |               |               |              |               |
| 1. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष           | 2011          | ...          | 0.39          | 0.39              | ...          | 0.44          | 0.44          | ...          | 0.44          |
| 2. विपक्ष के नेता और उनका सचिवालय | 2011          | ...          | 0.57          | 0.57              | ...          | 0.62          | 0.62          | ...          | 0.72          |
| 3. सदस्य                          | 2011          | ...          | 178.90        | 178.90            | ...          | 174.46        | 174.46        | ...          | 190.30        |
| 4. सचिवालय                        | 2011          | ...          | 90.89         | 90.89             | ...          | 95.23         | 95.23         | ...          | 131.50        |
| 5. सचिवालय (मुख्य सचेतक)          | 2011          | ...          | 0.21          | 0.21              | ...          | 0.21          | 0.21          | ...          | 0.26          |
| 6. अन्य व्यय                      | 2011          | ...          | 0.61          | 0.61              | ...          | 0.61          | 0.61          | ...          | 0.71          |
| <b>कुल जोड़</b>                   |               | ...          | <b>271.57</b> | <b>271.57</b>     | ...          | <b>271.57</b> | <b>271.57</b> | ...          | <b>323.93</b> |

- 1-2. इसमें लोक सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता तथा उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।
3. इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों, अन्य सुविधाओं के कारण होने वाला व्यय, विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल तथा भारत का दौरा करने वाले विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडल पर होने वाला व्यय शामिल है।
4. इसमें स्टाफ तथा अधिकारियों के वेतन, संस्थापना संबंधी जरूरतों, संसद

- संसद में चल रही कैंटीन के लिए सब्सिडी तथा संसद सदन में लगे हुए लोक सभा टेलीविजन चैनल पर होने वाले व्यय का प्रावधान है।
5. इसमें सचिवालय (मुख्य सचेतक) के स्टाफ एवं अधिकारियों के संबंध में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान है।
6. इसमें अन्तर संसदीय संघ तथा कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन की वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए अंशदान का प्रावधान है।